

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1076/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.225-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(279)-2023

लखनऊ: दिनांक: 26 जुलाई, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की संस्तुतियों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-843/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक 30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 19ग के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी:-

(3)
"उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

*(Handwritten Signature)*  
26/7/23

(नितिन रमेश गोकर्ण)  
अपर मुख्य सचिव